ORIGINAL RESEARCH PAPER

Political Science

KEY WORDS:

लोकतन्त्र के अन्तर्गत भारतीय निर्वाचन प्रणाली की विषेशताएं

अभय शंकर मिश्र (पीएच.डी. शोधार्थी) राजनीति विज्ञान विभाग एस.के.डी. विश्वविद्यालय, सूरतगढ़रोड़, हनुमानगढ़(राज.)

डॉ. सुचित्रा दिवाकर (शोध निर्देषक) राजनीति विज्ञान विभाग एस.के.डी. विश्वविद्यालय, सूरतगढ़रोड़, हनुमानगढ़(राज.)

प्रस्तावना -

निर्वाचन और लोकतंत्र की पारस्परिकता अनिवार्य है। लोकतांत्रिक षासन में निर्वाचन के माध्यम से ही जनता की सम्प्रभुता का, सत्ता के निकायों के प्रति प्राधिकृत प्रत्यायोजन सम्भव होता है, क्योंकि निर्वाचन ही वस्तुतः जनता की आकांक्षाओं और अभिप्रायों के संवाहक होते हैं। निर्वाचन की व्यवस्था का निष्ठापूर्ण निर्वाह लोकतांत्रिक आस्था के अस्तित्ववान रहने की अनिवार्य पूर्वापेक्षा है। भारत जैसे विषाल और वैविध्यपूर्ण लोकतंत्र में, निर्वाचन की सुचारू व्यवस्था तथा उसकी पवित्रता के निर्वाह के दायित्वों की एक साथ पूर्ति एक अनिवार्य संवैधानिक प्रतिबद्धता भी है और एक गंभीर राजनीतिक प्रशासनिक चुनौती भी। भारतीय संविधान निर्माताओं ने विविधता में एकात्मकता की उदात्त भावनाओं व विचारों का दिग्दर्शन कराते हुए विविध संस्कृति, भाषा, जाति, धर्म, सम्प्रदाय, वर्ग, नस्ल, रंग, लिंग व क्षेत्र वाले बहुल भारतीय समाज के लिए सार्वभौम वयस्क मताधिकार को अंगीकृत किया। लोकतंत्रात्मक षासन प्रणाली आधुनिक विश्व की सबसे उत्तम व्यवस्था मानी जाती है, क्योंकि लोकतंत्र जनता पर आधारित होता है तथा जनता अपनी इच्छा से अपने शासक का चुनाव करती है।

वर्तमान समय में लोकतंत्र बहुत ही प्रचलित एवं लोकप्रिय ष्ब्द हो गया है जिसका प्रयोग केवल षासन पद्धति के लिए नहीं बल्कि सम्पूर्ण जीवन पद्धति के लिए किया जाने लगा है। लोकतंत्र एक मानवतावादी एवं उदारवादी विचारधारा है, जिसका मूल आधार वे सिद्धान्त हैं जिन्हें प्रत्येक सभ्य समाज स्वीकार करता है। लोकतंत्र में व्यक्ति की स्वतंत्रता, समानता, व्यक्तित्व विकास के अवसर, षांति एवं व्यवस्था, जनता की इच्छानुसार षासन तथा सरकार पर जनता का नियंत्रण आदि प्रमुख बातों को अत्यधिक महत्व दिया जाता है। अतः यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें नागरिकों को अपनी योग्यतानुसार उन्नति के पर्याप्त अवसर उपलब्ध होते हैं। लोकतंत्र में व्यक्ति ही साध्य माना जाता है और ेष सारी व्यवस्था व्यक्ति हित के इर्द-गिर्द घूमती है। जहां राजतंत्र, अधिनायक तंत्र और कुलीनतंत्र में आम नागरिकों को कोई राजनीतिक सम्मान एवं अधिकार प्राप्त नहीं होता है वहीं लोकतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति को महत्वपूर्ण माना जाता है, अर्थात सरल ष्ब्दों में यह कहा जा सकता है कि लोकतंत्र की धुरी जनता होती है। अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने लोकतंत्र को परिभाषित करते हुए कहा भी है कि 'लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा, जनता के लिए षासन है।

लोकतंत्र मर्यादा की माँग करता है और मनुष्यता को व्यक्तित्व के आवरण में उतारता है। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व तब तक कायम नहीं हो सकता, जब तक की व्यक्ति स्वंय सर्वोत्तम समाज की स्थापना का संकल्प नहीं करता। लोकतंत्र के द्वारा व्यक्ति और षासन के बीच में प्रभावषाली सम्बन्ध सूत्र स्थापित होता है। लोकतंत्र में मर्यादित एवं अनुषासित षासन की स्थापना होती है। लोकतंत्र में षासन की व्यवस्था में परिवर्तन केवल जनता के मतों द्वारा ही सम्भव होता है, किसी अन्य तरीके से नहीं। लोकतंत्र राजनीति विज्ञान की एक बहुआयामी अवधारणा है, यह षासन का एक प्रकार है, एक सामाजिक षक्ति है, एक नैतिक अवधारणा है तथा एक राजनीतिक आदर्ष भी है।

लोकतंत्र का अर्थ एवं परिभाषाः-

लोकतंत्र अंग्रेजी ष्ब्द डेमोक्रेसी का हिन्दी पर्याय है। डेमोक्रेसी ष्ब्द मूल रूप से ग्रीक भाषा के डेमोक्रेषिया ;कमउवातंजपंद्ध से लिया गया है, जो दो ष्ब्दों डेमॉस ;कमउवेद्ध जनता और क्रेटस ;तंजवेद्ध षासन से मिलकर बना है जिसका षाब्दिक अर्थ है जनता का षासन । धुरू-धुरू में लोकतंत्र ष्ब्द का प्रयोग प्राचीन यूनान में अनेक लोगों के षासन के रूप में किया गया था न कि आज जैसे सकारात्मक रूप में। इस प्रकार तब सत्ता की षक्ति किसी एक व्यक्ति के हाथों में न रहकर कई व्यक्तियों में समाहित होती थी। अरस्तु ने छः प्रकार की षासन पद्धतियों का वर्णन किया था-राजतंत्र, निरंकुषतंत्र, कुलीनतंत्र, वर्गतंत्र, लोकतंत्र और भीड़तंत्र। अरस्तु ने डेमोक्रेसी ष्ब्द का प्रयोग भीड़तंत्र के लिए किया था न कि लोकतंत्र के लिए जबकि आजकल डेमोक्रेसी को लोकतंत्र का पर्याय माना जाता है। अरस्तु ने डेमोक्रेसी का तात्पर्य, निर्धन, अज्ञानी और अशिक्षित लोगों के षासन को बताया था, जिसमें लोगों की संख्या बहुत अधिक यानि भीड़ की भांति होती है।

इस प्रकार कहा जा सकता है कि लोकतंत्र में राजनीतिक व्यवस्था से सम्बन्धित सत्ता जनता के पास होती है। यह जनता प्रतिनिधियों को निर्वाचित कर अपनी ओर से उन्हे षासन का अधिकार प्रदान करती हैं। इससे हर प्रजातांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था में प्रतिनिधि ही व्यवहार में षासन षक्ति के धारणकर्ता एवं प्रयोगकर्ता दोनों हो जाते हैं। विषाल जनसंख्या, विस्तृत भूमि-क्षेत्र तथा व्यापक कार्य-क्षेत्र के कारण आधुनिक लोकतांत्रिक राज्यों में जनता प्रत्यक्ष रूप से षासन में सहभागी हो, ऐसा असम्भव है। इसलिए इसके विकल्प के रूप में ही प्रतिनिधि मूलक प्रजातंत्र का विकास हुआ है। इस तरह के प्रजातांत्रिक राज्य में जनता अपनी षासन षक्ति का प्रयोग प्रतिनिधियों को चुनकर उनके माध्यम से करती है। इस तरह प्रतिनिधित्व का महत्व प्रजातंत्र के विकास के साथ ही बढ़ता गया है।

वर्तमान युग लोकतंत्र का युग है। यह सर्वविदित हो चुका है कि जनता ही षासन की सम्पूर्ण षक्तियों का आधार है। अतः सभी वयस्क नागरिकों को प्रतिनिधियों के चुनाव में समान रूप से भाग लेने का अधिकार है। लोकतान्त्रिक राज्य में धर्म, जाति, लिंग, जन्म-स्थान, शिक्षा इत्यादि के आधार मताधिकार देने में कोई विभेद नहीं किया जाता। भारत में वयस्क नागरिकता की आयु १८ वर्ष निर्धारित की गयी है, जो पहले २१ वर्ष थी। प्रतिनिधियों को चुनने की दो विधियाँ हैं, प्रथम यदि मतदाता चुनाव में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं और अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं तो यह चुनाव की प्रत्यक्ष विधि कहलाती है। इनमें मतदाता मतदान स्थल पर जाकर अपना मत देता है। जिस उम्मीदवार को सबसे अधिक वोट मिलता है, वह निर्वाचित घोषित किया जाता है। चुनाव की यह विधि सर्वाधिक लोकप्रिय है। भारत में लोकसभा एवं विधानसभा, ब्रिटेन में हाउस ऑफ कामन्स, अमेरिका में प्रतिनिधि सभा इत्यादि का चुनाव इसी विधि से होता है। दूसरा जब मतदाता अपने प्रतिनिधियों के चुनाव में प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लेकर निर्वाचक मण्डल को चुनते हैं और निर्वाचक मण्डल अन्ततः प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं तो यह पद्धति अप्रत्यक्ष विधि कहलाती है। भारत में राज्य सभा एवं विधान परिषद के कुछ सदस्यों का चुनाव इसी विधि से होता है। भारत के राष्ट्रपति तथा अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव भी इसी विधि से होता है।

भारतीय निर्वाचन प्रणाली की विषेशताएँ :-

भारतीय संविधान निर्माताओं ने भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव तथा नागरिकों के राजनीतिक हितों की रक्षा हेतु भारतीय संविधान में निर्वाचन व्यवस्था के सम्बन्ध में एक पूरा अध्याय ही जोड़ दिया। मौलिक अधिकार समिति के अनुसार स्वतंत्र निर्वाचन और निर्वाचनों में कार्यपालिका के हस्तक्षेप को रोकना एक मौलिक अधिकार है। संविधान सभा ने यह स्वीकार किया कि यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है किन्तु साथ ही उसने यह भी निर्णय दिया कि इससे सम्बद्ध उपबन्धों का मौलिक अधिकार सम्बन्धी अध्याय में रहना उचित नहीं है, इसका स्थान अलग है। इसलिए प्रारूप समिति ने इससे सम्बद्ध सभी उपबन्धों को एक अलग अध्याय में रखा।

सच्चे लोकतंत्र की स्थापना स्वतंत्र तथा निष्पक्ष निर्वाचन के द्वारा ही सम्भव है। लोकतन्त्रीय प्रणाली की सफलता की यह एक बड़ी शर्त है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए भारतीय संविधान में एक स्वतन्त्र अभिकरण की व्यवस्था की गयी है जिसे निर्वाचन आयोग के नाम से जाना जाता है। भारतीय संविधान के भाग-१५ के अनुच्छेद ३२४ से अनुच्छेद ३२९ तक चुनाव से सम्बन्धित व्यवस्थाओं का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद ३२४ में चुनावों के संचालन के लिए निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गयी है, और निर्वाचन आयोग को संसद, राज्यों के विधानमण्डलों, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के चुनावों के अधीक्षण, निर्देशन तथा नियन्त्रण के अधिकार सौंपे गये हैं तथा इन षक्तियों के अतिरिक्त निर्वाचन आयोग को यह भी षक्ति दी गयी है कि वह निर्वाचनों में उत्पन्न होने वाले तथा निर्वाचनों के सम्बन्ध में उठने वाले विवादों का निर्णय करें। अनुच्छेद ३२४(६) में यह व्यवस्था की गयी है कि निर्वाचन आयोग की प्रार्थना पर राष्ट्रपति या किसी राज्य का राज्यपाल निर्वाचन आयोग या प्रादेशिक आयुक्त को ऐसे कर्मचारियों की व्यवस्था करेगा जो उसे संविधान द्वारा दिये गये अपने कार्यों की पूर्ति के लिए आवश्यक है।

संविधान का अनुच्छेद ३२४ इसकी विशद् व्याख्या करता है। निर्वाचन आयोग में एक

मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्त एवं राज्य स्तर पर एक मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी की व्यवस्था है। राष्ट्रपति समय-समय पर अन्य निर्वाचन आयुक्तों की संख्या निर्धारित करता है, साथ ही निर्वाचन आयोग एवं इसके पदाधिकारियों को कार्यपालिका के नियन्त्रण से मुक्त रखा गया है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्तों को उसी प्रकार पद से हटाया जा सकता है, जिस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है।

निर्वाचन आयोग का कार्य चुनाव सम्पन्न कराना, चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन करना, मतदाता सूची तैयार करना, राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना, राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह प्रदान करना, चुनाव आचार-संहिता तैयार करना, चुनावी खर्च पर नियन्त्रण करना, मतदाताओं को राजनीतिक शिक्षा प्रदान करना, चुनाव का संचालन, निर्देशन तथा देख-रेख इत्यादि से सम्बन्धित हैं।

भारतीय संविधान वयस्क मताधिकार के आधार पर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की व्यवस्था करता है। संविधान के अनुच्छेद ३२६ में कहा गया है कि लोकसभा तथा राज्य विधान मण्डलों के चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर किये जायेंगे। इसके अनुसार प्रत्येक स्त्री-पुरूष को जिनकी उम्र १८ वर्ष की है, लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं के चुनावों में मतदान का अधिकार प्राप्त है। संविधान के अनुच्छेद ३२७ के द्वारा संसद तथा अन्य विधान मण्डलों के निर्वाचन से सम्बद्ध मामलों में कानून बनाने की सर्वोच्च सत्ता भारतीय संसद को सौंपी गयी है। इस सम्बन्ध में राज्य विधानमण्डलों को बहुत सीमित अधिकार प्रदान किया गया है। अनुच्छेद ३२८ में यह भी व्यवस्था की गयी है कि राज्य विधानमण्डलों द्वारा पारित कोई भी कानून भारतीय संसद द्वारा पारित विधि के विरुद्ध नहीं हो सकता।

वास्तव में अगर देखा जाये तो भारतीय संविधान में किसी भी स्थान पर नागरिकों को सरकार के निर्माण का अधिकार स्पष्ट रूप से उल्लिखित नहीं है परन्तु जनता का सरकार बनाने या लोकप्रिय सरकार की स्थापना का अधिकार लोकतंत्र का मुख्य स्तम्भ होता है। यह अधिकार किसी भी नागरिक की उस सर्वोच्च स्वतंत्रता को परिलक्षित करता है, जिसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कहा जाता है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को भारतीय संविधान में मूल अधिकारों की श्रेणी में रखा गया है।

भारतीय संसद ने निर्वाचन से सम्बन्धित अनेक कानून बनाये हैं और समय-समय पर उनमें संशोधन भी किये हैं। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५० के द्वारा निर्वाचन-क्षेत्र को परिसीमित करने की प्रक्रिया, संसद में प्रत्येक राज्य के स्थानों की संख्या तथा प्रत्येक राज्य के विधानसभाओं में सदस्यों की संख्या निर्धारित की गई है तथा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५१ निर्वाचन के संचालन और प्रबन्ध से सम्बद्ध प्रशासनिक व्यवस्था, मतदान, उप चुनाव इत्यादि की व्यवस्था करता है। इन दोनों अधिनियमों के आधार पर केन्द्रीय सरकार ने कुछ परिनियम भी बनाये हैं।

इन अधिनियमों और परिनियमों में समय-समय पर आवश्कतानुसार संशोधन होते रहे हैं। पहले यह निश्चित किया गया था कि संसद और राज्य विधानमण्डलों के निर्वाचन के लिए अलग-अलग मतदाता सूची बनायी जायेगी किन्तु बाद के संशोधन के द्वारा एक ही मतदाता सूची तैयार करने का फैसला किया गया। १९५६ के एक संशोधन द्वारा चुनाव याचिकाओं के निर्णय की जिम्मेदारी उच्च न्यायालयों को सौंप दी गयी। पुनः १९७५ ई० में संवैधानिक संशोधनों द्वारा चुनाव कानूनों में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाये गये।

संविधान में संशोधन लाकर यह व्यवस्था की गयी कि राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनाव सम्बन्धी विवादों का निपटारा संसदीय कानून द्वारा निर्मित निकाय से होगा। ऐसी ही व्यवस्था प्रधानमंत्री व लोकसभा अध्यक्ष के लिए भी की गयी, लेकिन भारतीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस व्यवस्था को अवैध घोषित कर दिया गया। आज समस्त भारत के लिए चुनाव संसद द्वारा निर्मित कानून से ही सम्पन्न होते हैं। ४४वें संविधान संशोधन की धारा १० द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के समस्त अधिकारों की बहाली की गयी। यह अधिकार राष्ट्रपति के चुनाव से सम्बन्धित विवाद के निपटारे से सम्बद्ध है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

१ एन.एन. वोहरा समिति का निर्वाचन सुधार पर प्रतिवेदन, नई दिल्ली, १९९३
२ भारत का संविधान : विधि मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली
३ दिनेश गोस्वामी समिति का निर्वाचन सुधार पर प्रतिवेदन, नई दिल्ली, १९९०
४ इन्द्रजीत गुप्त समिति का निर्वाचन सुधार पर प्रतिवेदन, नई दिल्ली, १९९८
५ जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५१, विधि मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली
६ जन प्रतिनिधित्व ;संशोधनद्ध अधिनियम, २००९, विधि मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली
७ अमर उजाला ;हिन्दी दैनिक समाचार पत्रद्ध
८ अमृत प्रभात ;हिन्दी दैनिक समाचार पत्रद्ध
९ इण्डियन एक्सप्रेस ;हिन्दी दैनिक समाचार पत्रद्ध